संख्या-178/2017/349/26-3-2017-4(विविध)/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर, 2017

विषयः-जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद-275(1) एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में जनपद महराजगंज एवं देवरिया में अनुसूचित जनजातियों हेतु मूलभूत सुविधायें यथा इन्टरलाकिंग, पिचरोड एवं नाली निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत किये गये कार्यो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-304/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-09.02.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद-275(1) एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में जनपद महराजगंज एवं देवरिया के निम्नलिखित विकासखण्डो/ग्रामो हेतु अनुसूचित जनजातियों हेतु मूलभूत सुविधायें यथा इन्टरलाकिंग, पिचरोड एवं नाली निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत किये गये कार्यो के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपया-571.54 लाख (रूपया पांच करोड़ इक्हत्तर लाख चौवन हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रूपया-571.54 लाख (रूपया पांच करोड़ इक्हत्तर लाख चौवन हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	जनपद/ विकास खण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (मी0)	कुल लागत रू0 (लाख में)	स्वीकृत धनराशि रू0 (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	देवरिया/भाटपार रानी	ग्राम सभा पकडी बाबू में इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	400.00	19.42	19.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	देवरिया/बैतालपुर	ग्राम सभा तिवई में इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	700.00	42.57	42.57
3	देवरिया/बरहच	ग्राम सभा खडेसर में इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500.00	28.96	28.96
4	देवरिया/देवरिया शहर	शहर ग्राम सभासुबिखर इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	530.00	30.97	30.97
5	देवरिया/देवरिया शहर	ग्राम सभा इजरही इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	300.00	17.27	17.27
6	देवरिया/रामपुर करखाना	ग्राम सभा नोनिया छापर इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	300.00	19.60	19.60
7	देवरिया/ गौरीबाजार	ग्राम भटौली बजुर्ग में इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण	490.00	25.97	25.97
8	देवरिया/भलुअनी	ग्राम सभा कुसुम्हा इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	500.00	30.37	30.37
9	महराजगंज/ सिसवा	ग्राम सभा सबया में पिच रोड/इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2560.00	179.97	179.97
10	महराजगंज/ नौतनवा	ग्राम सभा बिशुनपुरा में पिच रोड/ इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2500.00	176.44	176.44
	योग			**571.54**	**571.54**

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (निर्माण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य (के0100%)-24 वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-178/2017/349(1)/26-3-2017तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देवरिया एवं महराजगंज।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

5-प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, गोरखपुर, इकाई।

6-जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया एवं महराजगंज।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।